

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

सामान्य दर (Base Rate)

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि (भूमि प्रति हे0 रू0 लाख में)	अकृषित भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी0)	बहुमजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर(प्रति वर्ग मी0)	
						दुकान / होटल / धर्मशाला / स्टोररैन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
तहसील चमोली									
नगरीय क्षेत्र									
1	(क)	ग्राम गोपेश्वर, पण्डियाणा, पाडुली	137.50	1513.00	16818.00	14413.00	13613.00	12713.00	9513.00
2	(ख)	ग्राम कोठियालपसैण, रामपुर चक पाडुली।	90.00	990.00	16295.00	13890.00	13090.00	12190.00	8990.00
3	(ग)	कोठियालगांव, न्कीलों, चमनाक।	85.00	935.00	16240.00	13835.00	13035.00	12135.00	8935.00
4	(घ)	क्षेत्रपाल, भूमला तना खैनुरी।	80.00	880.00	16185.00	13780.00	12980.00	12080.00	8880.00
5	(ङ)	नन्दप्रयाग।	60.00	660.00	15965.00	13560.00	12760.00	11860.00	8660.00
6	(च)	ग्राम गंगोलगांव, सगार, चन्द्राकोटी।	55.00	605.00	15910.00	13505.00	12705.00	11805.00	8605.00

श्रेणी	सड़क मार्ग से चौड़ाई			
	18 मी0 या अधिक	15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम	12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम	5मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम
क	40	35	30	20
ख	35	30	25	15
ग	30	25	20	10
घ	25	20	15	10
ङ	25	20	15	10
च	25	20	15	10

बेस रेट में जो %वृद्धि की जायेगी

(Signature)

(Signature)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र

1	(क)	ग्राम नौरख (पीपलकोटी) एवं अगथला	95.00	1026.00	16331.00	13926.00	13126.00	12226.00	9026.00
---	-----	---------------------------------	-------	---------	----------	----------	----------	----------	---------

सड़क मार्ग से चौड़ाई

नेस स्ट में जो %वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे				
			25	20	15	(क)	30		

ग्रामीण क्षेत्र

1	(क)	पुरसाडी, मैठाणा, बाजबगड, बिरही, रोपा-चलत्थर (कुहेड़), गोलिम (बाजपुर)माथापुर गडोरा, बाटुला, रौलीगवाड़ I	55.25	580.00	15885.00	13480.00	12680.00	11780.00	8580.00
2	(ख)	देवर खडोरा, कुजों मैकोट, ग्वाड, देवलधार, वैरागणा, सिरौली, कुनकुली, मण्डल	55.00	578.00	15883.00	13478.00	12678.00	11778.00	8578.00
3	(ग)	सैकोट, सोनला, बछेर, मासों, गौर, कटुड़, मठ मलाना, छिनका, निजमूला, ब्यारा चक सैजी, अनागोली, लगा रांगतोली, मठ लगा पिलंग, दुसातगॉव, पिलंग चटोली, सिणजी लगा सिरों, हाट, जैसाल, दशवाण, बौला, तैन्दुली चक हाट, गाडी, तिलफारा।	37.50	394.00	15699.00	13294.00	12494.00	11594.00	8394.00

M.L. Bhatt


[Handwritten Signature]

5	(घ)	अनुसुया, खल्ता, कोटेश्वर, भदाकोटी, नगर टंगसा, वणद्वारा, दोगडी काण्डई, वमियाला, सिरां, बेमरु भर्की, गुनियाला, मठ झडेता, स्थान चक कुडाव, डुग्री, कुडांग लगा भैकोट, कुडाव, मलाना लगा नैल, नैल, कोज पोथनी, खेनुरी, भीड, लगा गडोरा, सल्ला रैतोली, चातोली किरुली, दिगोली, मेहर गोंव, ल्वॉड, सैजी, गौणा, टेडा-खनसाल (सितोडा), किलौण्डी, रांगतोली, लासी, बौली, धुडुसाल, वकीरावू, हरमनी, लस्वारी, मजोटी, नवा लगा मजोटी, सेमडुग्रा, वैण्डू, कण्डेरी, वेपडों लगा मासों, ककलखेत, देवर, दादड, आमखेत, गोलिम, रोपा-चलथर।	खिकन, धनोली, कैलुडी चक नवाड, मकरोली, रसूण, नवाड लगा बेमरु, मंजु लगा बेमरु, काणा, सैजी लगा कुजां भैकोट, कभ्यार, सौडीयाणी, लारतोली, हडुग लगा सैजी, गौणा चक धार कुमार, दुर्भा, पगना, पाणा, ईराणी, रोपा, पलेठी, भैड लगा पलेठी, नैथोली, सैना चक सरतोली, भतंगयाला, मथरपाल, भैती बेडूला, धारकोट, सरतोली, बराली, भतुसई लगा सरतोली, लैथा, गुहाई, सकण्ड, रुद्रनाथ, चाण्ड उडियार।	28.00	294.00	15599.00	13194.00	12394.00	11494.00	8294.00									
											18 मी० या अधिक	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम					
											श्रेणी	सडक मार्ग से चौडाई							
											क	40	35	30	20				
											ख	35	30	25	15				
6	(ड)			22.50	236.00	15541.00	13136.00	12336.00	11436.00	8236.00									
											ग	30	25	20	10				
											घ	25	20	15	10				

Line Adm

[Signature]

क्र.	25	20	15	10
नोट :-	0.2 है0 (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होगी।			
2	कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विकय करते समय क्रेता भूमि का प्रयोजन भी स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।			
3	बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।			
4	भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।			
5	उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धरण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विकय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।			
6	दुकान /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।			
7	मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं /निगमों द्वारा अन्तरित, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित /अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।			
परन्तु :-	उपरोक्त वर्गित संस्थाओं द्वारा निर्बाधित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निर्बाधन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।			


 जिलाधिकारी,
 चमौली।

सेट का विवरण।

सामान्य दर (Base Rate)

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि (भूमि प्रति है0 रू0 लाख में)	अकृषित भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी0)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
						दुकान / होटल / धर्मशाला / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक		
तहसील घाट।									
अर्द्ध नगरीय क्षेत्र									
1	क	धरगांव लगा उत्सोली, धौला चक उत्सोली, कुन्तरी लगा फाली।	60.00	648.00	15648.00	13348.00	12548.00	11648.00	8548.00
2	ख	कुमारोली, नागरगाड ऊर्फ फरखेतफ	55.00	594.00	15594.00	13294.00	12494.00	11594.00	8494.00

सड़क मार्ग की चौड़ाई

बेस रेट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी0 या अधिक		15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम		12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम		5मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
	क	40	40	30	30	25	25	20	20
	ख	40	40	30	30	25	25	20	20

ग्रामीण क्षेत्र तहसील घाट।

1	क	सेरा, सैतोली, कुरुड गूठ वादुक, गुलाडी, कुरुड रोली पार, सितेल, सुतोल, गेरी, पेशी, चमतोली चक बांसवाडा, भैसावाडा चक सैती।	37.50	394.00	15394.00	13094.00	12294.00	11394.00	8294.00
2	ख	भैडी, सैतीगूठ, सरधानी, लाखी, धुर्मा, कुन्तरी लगा सरधानी, फाली, बांसवाडा, उत्सोली, भटियाणा लगा लाखी, बाजबगड, दुणतरा, माणखी, जाखणी, विजार, खुनाणा, हुडा लगा रामणी।	35.00	368.00	15368.00	13068.00	12268.00	11368.00	8268.00
3	ग	नोना, मोठा, याका, सेमा, बेरो, बूरा, तोगला, मटई, कवीराली, काण्डई, पगना, रामण गी, घुनी, सुंग, ल्वाणी, कृणडी, चरबंग, राणिहाट।	32.50	341.00	15341.00	13041.00	12241.00	11341.00	8241.00

(Handwritten Signature)

(Handwritten Mark)

4	घ	गण्डासू, बनाला, राजबगठी, मेहडबगठी, सिमली मंगरी, पाणीपैर, भेरणी, मोख मल्ला, मोख तल्ला, जोखना, पुणकिला, सिमार चक राजबगठी, पडेसगांव, आला चक कुमजुग, सुनीति, खलतरा, चोपडा कोट, चरी, तोलना, सिरोंसार, धरगांव काण्डा मल्ला, मथकोट, नारंगी।	25.00	263.00	15263.00	12963.00	12163.00	11263.00	8163.00
5	ड	पठोली चक भेटी, बालीगवाड, सीक चक, लोलडी चक तातड, भैसवाडा चक, धरवाडी, हुंग लगगा काण्डई, मोलिंग चक लोंखी प्राणमती, कनोल, सीक भैसवाडा चक, मोलिंग चक अन्दर, चौमासी चक, मोख तल्ला, रिखतोली चक धुर्मा, मोलिंग चक धुर्मा, स्पारी बंगाली, पिलखोला, हीण आदि।	22.50	236.00	15236.00	12936.00	12136.00	11236.00	8136.00

सडक मार्ग की चौड़ाई							
श्रेणी	18 मी० या अधिक	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम		12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम		5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	
		क	50	40	35	35	15
ख	40	35	30	30	15	15	15
ग	35	30	25	25	10	10	10
घ	30	25	20	20	10	10	10
ड	25	20	10	10	5	5	5

नोट :- 0.2 है० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

2 कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा भूमि का क्रय-विक्रय करते समय केता भूमि का प्रयोजन भी स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

3 बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।

4 भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।


5 आशय का प्रमाण पत्र /शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।

6 दुकान /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

7	<p>मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।</p>
परन्तु :-	<p>उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।</p>


 जिलाधिकारी
 चमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)				गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
			कृषि (भूमि प्रति है० रू० लाख में)	अकृषित भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		
						दुकान / होटल / धर्मशाला / रेस्टोरेंट / कार्यालय		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

तहसील जोशीमठ

नगरीय क्षेत्र-

1	(क)	बदीनाथ, बामणी	300.00	3600.00	20400.00	17700.00	16900.00	15900.00	12400.00
1	(क)	जोशीमठ	140.00	1500.00	18300.00	15600.00	14800.00	13800.00	10300.00
2	(ख)	औली लगा जोशीमठ, औली लगा सबूड	120.00	1450.00	18250.00	15550.00	14750.00	13750.00	10250.00
3	(ग)	रविग्राम	95.00	1045.00	17845.00	15145.00	14345.00	13345.00	9845.00
4	(घ)	परसारी	60.00	660.00	14760.00	14760.00	13960.00	12960.00	9460.00

सड़क मार्ग से चौड़ाई

बसे रेट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	सड़क मार्ग से चौड़ाई			
		18 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	15 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	15 मी० या अधिक व 12 मी० से कम
क		40	35	25	20
ख		40	30	20	15
ग		40	30	15	10
घ		40	30	15	10

Handwritten signature

164

अर्द्ध नगरीय क्षेत्र-

1	(क)	पाण्डुकेश्वर, माणा	70.00	770.00	17570.00	14870.00	14070.00	13070.00	9570.00
2	(ख)	तपोवन, चमटोली, ब्राक, कुण्डीखोला, लाता, गहर, बिलागाड, रिगी, जुवाभाड, भंग्यूल, जुगाजुगलाता, रेंणी चक लाता, रेंणी चक सुभाई।	50.00	550.00	17350.00	14650.00	13850.00	12850.00	9350.00

सडक मार्ग की चौडाई

बसे स्ट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	सडक मार्ग की चौडाई			
		18 मी० या अधिक	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	8 मी० या अधिक व 12 मी० से कम
	क	40	30	25	20
	ख	40	30	20	10

ग्रामीण क्षेत्र तहसील जोशीमठ

1	(क)	पाखी, मारवाडी चक पाखी, जलभाड, टगणी तल्ली, टगणी मल्ली, नौलीभाड, लंगसी, गुलाबकोटी, हेलंग, धेनी, सेलंग, अरूडी-पट्टी, औंथ हनुमान चट्टी शैनाकुली, खीरें।	35.75	395.00	17195.00	14495.00	13695.00	12695.00	9195.00
2	(ख)	मेरग, बडगाव, तोलमा, जुम्मा, जैलम, कोधा, मलासी, कैलाशपुर, कुरकुटी, रेंवलचक कुरकुटी, फरखियागांव, वाभ्या, गमशाळी, नीति, पुलना, भूंजार।	30.00	330.00	17130.00	14430.00	13630.00	12630.00	9130.00
3	(ग)	सलना, ल्यारी धेंणा, चाई, तोली लंगा चाई, धेंग, उरगम, देवग्राम, डुगरा, सलूड, डुग्री बरोसी, सुभाई।	27.50	300.00	17100.00	14400.00	13600.00	12600.00	9100.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

4	(घ)	करछी गांव, रेगडी, करछी, पगरासू, डुमक, कलगोट, उछौंवाड, पल्ला, जखोला, किमाणा, द्रोणागिरी, कागा लगा द्रोणागिरी, गणाई, मोल्दा, पगनों, भर्को चक उर्गम, भैंटा चक उर्गम, गरपक, मेहरगांव, लगतोली, कुरईपाणी, पैंग चक लाता, तुगासी, फागती, बदलरोटा, भलगवा, मोरना चक लाता, लैगासेगडी, इनाडा, ऐरा, खचा तल्ला, खचा मल्ला, पयाचोरमी, गोखलगा सेलंग, त्रिसेसी, दाइमी, डींग, तपोण, लॉजी, पोखनी उर्फ पोखरी, सूकी।	20.00	220.00	17020.00	14320.00	13520.00	12520.00	9020.00
---	-----	---	-------	--------	----------	----------	----------	----------	---------

सड़क मार्ग की चौड़ाई

श्रेणी	सड़क मार्ग की चौड़ाई				
	18 मी0 या अधिक	15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम	12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम	5 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम	
क	40	30	20	15	
ख	40	30	15	10	
ग	40	30	15	5	
घ	40	20	10	5	

नोट :- 0.2 है0 (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

- कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विकय करते समय केला भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।
- बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।
- भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
- उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धरण क सथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विकय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र /शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।
- दुकान /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।

3/2/2024

69

7	<p>मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आर्थनिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिस्मृतिवर्ग हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्त्र होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।</p>
परन्तु :-	<p>उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।</p>

जिलाधिकारी
बमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)				गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर(प्रति वर्ग मी0)	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	
			कृषि (भूमि प्रति है0 रु0 लाख में)	अकृषित भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी0)	बहुमजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)				
						वाणिज्यिक दुकान/ होटल / धर्मशाला / रैस्टोरैन्ट/ कार्यालय				अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
तहसील कर्णप्रयाग										
नगरीय क्षेत्र कर्णप्रयाग										
1	(क)	कर्णप्रयाग	190.00	2090.00	16590.00	14290.00	13590.00	12690.00	9690.00	
2	(ख)	भैडागव	187.00	2060.00	16560.00	14260.00	13560.00	12660.00	9660.00	
3	(ग)	इडाबधाणी	40.00	440.00	14940.00	12640.00	11940.00	11040.00	8040.00	
नगरीय क्षेत्र गौचर										
1	(क)	पनाई मल्ली, पनाई तल्ली, भट्टनगर, घली लगा भट्टनगर, रावलनगर मल्ला।	195.00	2145.00	16645.00	14345.00	13645.00	12745.00	9745.00	
2	(ख)	धारीलगा पनाई, बन्द्रखण्ड, बसन्तपुर, रावलनगर तल्ला।	190.00	2090.00	16590.00	14290.00	13590.00	12690.00	9690.00	
3	(ग)	बन्दरगवाड, रणसेरा।	50.00	550.00	15050.00	12750.00	12050.00	11150.00	8150.00	
4	(घ)	ग्वाडलगा भट्टनगर।	45.00	495.00	14995.00	12695.00	11995.00	11095.00	8095.00	
5	(ङ)	सौल	43.00	473.00	14973.00	12673.00	11973.00	11073.00	8073.00	

(Handwritten Signature)

(Handwritten Mark)

श्रेणी	सड़क मार्ग से चौड़ाई			
	18 मी० या अधिक	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम
क	35	30	25	15
ख	30	25	20	10
ग	25	20	15	10
घ	25	20	15	10
ङ	25	20	15	10

ग्रामीण क्षेत्र तहसील कर्णप्रयाग

1	(क)	राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग -बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम उमट्टा, कालेश्वर (कालदुबगाड) उधकण्डी, उत्तरा, लंगासू, सौनाला ।	50.00	550.00	15050.00	12750.00	12050.00	11150.00	8150.00
2	(ख)	राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग -सिमली-जौलीकोट मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम राडखी, टटासू, उर्फ मज्याडी, पीपलसेरा, सिमली व तोली, झाडुली	45.00	495.00	14995.00	12695.00	11995.00	11095.00	8095.00
3	(ग)	राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश -कर्णप्रयाग-बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम कमेडा, झिरकोटी, सिरण, गलनाऊ, दुगंवाली, नौलीतल्ली, निवाडी, उमराकोट बैडणू, एवं सिमली -ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम बडगांव तल्ला, रतूडा, थापली, बगोली, नौली, व नन्दप्रयाग -घाट मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मंगरोली, तेकना, ग्वाला, थिरणक, खडगोली, कमेडा, चमतोली ।	40.00	440.00	14940.00	12640.00	11940.00	11040.00	8040.00
4	(घ)	सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम बैनीताल, एवं कर्णप्रयाग - नौली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम नौली ।	35.00	385.00	14885.00	12585.00	11885.00	10985.00	7985.00

Rajiv
ADM

[Signature]

5	(ड)	<p>1. बगौली-कोटी जेटा मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम कोल्सो, मटियाला, जेटा, कोटी 2. सीरी-सलियाणा मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सीरी, सलियाणा मल्ला, सलियाणा तल्ला 3. सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मठोली, बणगांव मल्ला, चूलाकोट, कलाकोट, धारकोट 4. सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सैनु, गैरोली, चमोला, सिमल्ल, कनोठ 5. धार-डुगरी-नौखुरा मोटर मार्ग पर पडने वाले ग्राम धारडुग्री, गोपथला, कनखुल मल्ला 6. कर्णप्रयाग -डिमर मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम आली चक डिमर, डिमर 7. कर्णप्रयाग -नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम नैनीसैण, नाकोट तल्ला, नाकोट मल्ला, कनखुल तल्ला, विडोली, फलोटा, सुकतोली, ग्वाड़, पारतोली, किमोली तल्ली, बणसोली वल्ली, जसियारा, कण्डारा, कुनेथ, धनसाली, खतियाड़ी, पाडुली, फाला, ह्यूणा, नौसारी, सुणाई, 8. सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम हडाकोटी, कण्डारा, सुनाली, सैज, सिलंगी, धलकाचूला, नैखुरा, डोटला, काँचुला 9. उज्जलपुर-सैम मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम तोप व सैम 10. गैचर-सिदोली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सिन्दवाणी लग्गा झिरकोटी, श्रीकोट, बोला, पाडुली, नैगरा, सिदोली, काण्डई, देवल, नलगाव, चोरडा, जलगांव, सुनाक, औब्यावाड, पोखरी, चखिलवाड, मुल्यागांव</p> <p>11. गौचर-दुवामोटर मार्ग पर स्थित ग्राम दुवा 12. गौचर -डांडाखाल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम चौकी 13. कर्णप्रयाग -नौटी -बैनाली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम चौडली, कुण्डेला, जाख, दियारकोट, कुकडै, कोली मल्ली, भटोली लग्गा गैरोली, पुडियाणी, कनौठ, नैणी, झुरकण्डे, तोली, धानई, बैनाली, छातोली, डुग्री 14. राष्ट्रीय राज मार्ग कर्णप्रयाग जौलीकोट पर स्थित ग्राम सिरौली, बसक्वाली, भटोली लग्गा तोप, कौणी लग्गा खगोली, हवालघाट ।</p>	30.00	330.00	14830.00	12530.00	11830.00	10930.00	7930.00
---	-----	--	-------	--------	----------	----------	----------	----------	---------

PNM

64

6	(ब)	नौली मल्ली, हिण्डोली, कोठी, चटियाला, बांताली, रामबोरी, सेम, जैटीभटकोटी, पञ्चाणा, चमोली, उत्तकाडा, किमोली मल्ली, गानोली, रिठोली, बणसोली पल्ली, बरमोली, कुण्डसुग्रा, रेगांव, गुनाडसेरा, सरकारी सेरा, धरयालावाड, बरसाली, कोलाडुग्री, ललोटी, खगेली, क्याणर लगगा तोप, झुरकण्डे उर्फ भटोली, सिलगी, ल्वीटा, भोलनाड, भंगणा, मजखोला, नौगांव, जसपुर, घटगाडसेरा, लालिसेरा, देवलागडसारी, मैत्यागवाड, सिन्दवाणी लगगा काण्डा।	25.00	275.00	14775.00	12475.00	11775.00	10875.00	7875.00
7	(ख)	बारां, पलनाड, धरकुडी, बणसोली, स्वर्का, सिरतोली, बेरफाला, नैनसजाकट, सेरागाड, मौणा, सुन्दगांव, स्थानकिशनपुर, सुमल्ता, तलाई, बांगडी, नैल, खिसोटी, न्वालखेत, धतोडा, त्रिकोट, अगेव्हा, बडियास, सिर्मा, सौणा, पूर्णा, यूला, कोलीतल्ली, चमाली लगगा उमट्टा, काण्डा, अंगेव, नैथी, खरसाई, माडा, सकण्ड, ऐण्ड, दमदमा, बरतोली, बनेली, खाल्युगवाड, बौलासेरा, धनपुर खास, तौलसेण, बेरोट, स्वर्का, खगेटा लगगा तोप, कन्थोली, स्थालपाणी एवं उकर के अतिरिक्त ग्राम।	20.00	220.00	14720.00	12420.00	11720.00	10820.00	7820.00

बेस रेट में जो %वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	सड़क मार्ग से चौड़ाई			
		18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम
	क	40	35	30	20
	ख	35	30	25	20
	ग	30	25	25	20
	घ	25	20	15	10
	ङ	25	20	15	10
	च	25	20	15	10
	छ	25	20	15	10
	ज	25	20	15	10

नोट :- 0.2 है० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

Rishi Agam

[Signature]

2	कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विक्रय करते समय कंटा भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेंगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।
3	बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।
4	भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5	उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये भौके खसरे का उद्घरण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विक्रय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।
6	दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
7	मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
परन्तु :-	उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।

जिल्हाधिकारी
चमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि (भूमि प्रति है0 रु0 लाख में)	अकृषित भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	दुकान / होटल / धर्मशाला / शैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर(प्रति वर्ग मी0) प्रथम श्रेणी
तहसील पोखरी									
नगरीय क्षेत्र पोखरी									
1	(क)	देवस्थान, पोखरी चर्क चमोली।	60.75	668.00	16568.00	14068.00	13268.00	12268.00	8968.00
2	(ख)	बिशात, मयाणी, गुनियाता।	58.50	644.00	16544.00	14044.00	13244.00	12244.00	8944.00
3	(ग)	वल्ली, देवर वल्ला, देवर पल्ला।	56.25	619.00	16519.00	14019.00	13219.00	12219.00	8919.00
सड़क मार्ग से चौड़ाई									
क्षेत्र में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी0 या अधिक	15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम	12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम	5मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम				
			क	40	45	15			
			ख	45	35	10			
			ग	40	30	10			
ग्रामीण क्षेत्र तहसील पोखरी									
1	(क)	सेमी-ग्वाड (देवतोली)	81.25	894.00	16794.00	14294.00	13494.00	12494.00	9194.00
2	(ख)	सेमी-ग्वाड (ग्वाड)	78.00	858.00	16758.00	14258.00	13458.00	12458.00	9158.00
3	(ग)	जिलासू	50.00	550.00	16450.00	13950.00	13150.00	12150.00	8850.00

Ravi
ADM

[Signature]

4	(घ)	<p>कर्णप्रयाग -पोखरी मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मैठाणा लगा सेमी, बामणखाल, सरमोला, कूजलगा खसखाल, खसखाल, बिनगढ, खन्ती, नैठा, थालाबैण्ड, ब्राह्मणथाला, पोगठा, ।</p> <p>पोखरी-हापला-देवखाल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम भिकोना, बंगथल, किमोठा, रडुवा, जौरासी, सलना, महड, डुंगर, काण्डई, जखमाला, सैम, सांकरी, त्रिशूला, संगूड, मदोडा, ऐथा लगा जैरासी, बज्वाड़, पीठालोली ।</p>	40.00	440.00	16340.00	13840.00	13040.00	12040.00	8740.00
5	(ङ)		30.00	330.00	16230.00	13730.00	12930.00	11930.00	8630.00
6	(च)	<p>सरमोला-बमोथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम करच्छुना मल्ला, करच्छुना तल्ला, सूरी, छनदोली, रानौ, तोली लगा रानौ, डंगधार लगा रानौ, बाजी लगा रानौ, रौठला लगा रानौ, कौण्डा, बमोथ, गड्डना, कुमेडा, खुनागाड, 2. कर्णप्रयाग-सिवई -उत्तरी मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम पनाई, सिवाई, सलूड, लंगाली, शरणा, ऐरास, झिलोटी, गिरसा, मस्टगाव, उत्तरी 3. उडामाण्डा -सिमलासू-रौता मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सिनाऊ तल्ला, मल्ला, सिनाऊ पल्ला, सिमखोली, इज्जर, काण्डई खोला, तमुण्डी, चोपडा, गनियाला, हरिशंकर, चौण्डी, सिमलासू, रौता, सांकनी, उदयपुर, खाल्यूला सिनाऊ, किमखोली 4. पोखरी -पैणी -कुजासू मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम पैणी, कुजासू 5. पोखरी -विशालखाल-बामनाथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम पाब, खालबजेठा, काण्डईबजेठा, नैलखलवाणी, पाडुली लगा गुनियाला, आलीशाल 6. पोखरी-बीणा -आली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम गुगली, सरणाचाई, बीणा मल्ला, सतूड, सौडमंगरा, नागधार, आली, सैडुया, काण्डई, म्योली लगा गुगली 7. हापला -कलसीर मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मसोली, गुडम, नौली, कलसीर, सिरगाड, पाटी ।</p>	25.00	275.00	16175.00	13675.00	12875.00	11875.00	8575.00

प्राप्त

64

7	(ख)	राजस्थान ग्राम-खन्ना, चमसील, ताली कनसारी, खड़की, केलब, साटियाणा, लोखूपंधरी, तोणजी, पार्वतीपुर, पंगरोली, पतरोली, शेरसू, बीणा तल्ला, कोडी, कफलपानी, भटव उर्फ भरतपुर, नैल, कुजडी, भुलकड, मज्याडी, द्यूकासेरा, दूकोसौड, सेरा, कोटगिड, पैडुला तगा मजियाडी, मिनगड गांव, मालकोटी, बिरसण सैरा, बडेथ, रिखवाडी, कोलडा, खैडी लगाने रानो, कवीटी, तोली लगाने गेलुंग, गेलुंग, डामक, गोदी गिवाला।	20.00	220.00	16120.00	13620.00	12820.00	11820.00	8520.00
---	-----	--	-------	--------	----------	----------	----------	----------	---------

साइक मार्ग से चौड़ाई

श्रेणी	18 मी० या अधिक		15 मी० या अधिक व 12 मी० से कम		12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम		5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
क	40	40	40	30	30	20	-	-
ख	35	35	35	30	30	10	-	-
ग	30	30	30	25	25	10	-	-
घ	20	20	20	15	15	5	-	-
ङ	15	15	15	10	10	5	-	-
च	5	5	5	5	5	5	-	-
छ	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :- 0.2 है० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

2 कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विकय करते समय केला भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।

3 बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।


4 भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नार पर स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

5 उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने से पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धरण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विकय भूमि पर कोई भवन, दृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र /शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।

Qim
ADM



6	<p>दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।</p>
7	<p>मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकारणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।</p>
परन्तु :-	<p>उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।</p>


 जिलाधिकारी,
 बमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि (भूमि प्रति हे० रु० लाख में)	अकृषित भूमि / साम्प्रति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Base Rate)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी (रु० मी)
						वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (पक्का)		
						दुकान / होटल / धर्मशाला / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	प्रतिष्ठान		पक्का / कच्चा)

तहसील गैरसैण

नगरीय क्षेत्र गैरसैण

1	(क)	गैड, सलियाणा, कोलियाणा	130.00	1430.00	17530.00	15030.00	14230.00	13230.00	9930.00
2	(ख)	ग्वाड, सौनियाणा, खत्रियाणा, ।	90.00	990.00	17090.00	14590.00	13790.00	12790.00	9490.00
3	(ग)	गावली, धारगौड, पट्टी लगा गैड, कुनेली लगा सलियाणा।	80.00	880.00	16980.00	14480.00	13680.00	12680.00	9380.00
4	(घ)	सिंलगी, सैजी, बौसाड।	70.00	770.00	16870.00	30470.00	43270.00	55070.00	63570.00

सड़क मार्ग से चौड़ाई

वेस रेट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे			
		15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	
	क	40	30	25	20
	ख	35	20	15	10
	ग	30	15	10	10
	घ	20	10	10	10

Handwritten signature

Handwritten signature

ग्रामीण क्षेत्र तहसील गैरसैण

1	(क)	महलचौरी, भनोटगवाड़, रंगचौड़ा, थाला, परवाड़ी, सारकोट। आगर लगा जिनगोड़, सनेडा लगा जिनगोड़, फरसों, बिसरा खेत पल्ला, मरोडा।	65.00	715.00	16815.00	14315.00	13515.00	12515.00	9215.00
2	(ख)		55.00	605.00	16705.00	14205.00	13405.00	12405.00	9105.00
3	(ग)	सारिगावां, नैल, फरकण्डे, हरगड़, जोगेडा लगा हरगड़, बीना, बजियाणी, रोहिडा, गडौथ, मालकोट, टेटुणा, लाटुगैर, धामदेव, बछुवाबाण तल्ला, कोट, लामबगड़, कुशरानी तल्ली, रायकोट, जलचौरा तल्ला, जलचौरा मल्ला, उत्तरी झुमाखेत।	40.00	440.00	16540.00	14040.00	13240.00	12240.00	8940.00
4	(घ)	उक्त के अतिरिक्त तहसील गैरसैण के अन्तर्गत आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों की भूमि के लिए।	20.00	220.00	16320.00	13820.00	13020.00	12020.00	8720.00

सड़क मार्ग से चौड़ाई

श्रेणी	सड़क मार्ग से चौड़ाई			
	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	
क	40	25	20	
ख	35	15	10	
ग	30	10	10	
घ	20	10	10	

नोट :- 0.2 है० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

- कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विकय करते समय केता भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।
- बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये क्रम में 10 प्रतिशत कम होगा।
- भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो गार्गों पर अथवा कार्गार पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
- उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धरण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विकय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।
- दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

7	<p>मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्त्र होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।</p>
परन्तु :-	<p>उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।</p>

जिलाधिकारी,
चमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			कृषि (भूमि प्रति हे० रु० लाख में)	अकृषित भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर(प्रति वर्ग मी०)
						दुकान / होटल / धर्मशाला / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	

तहसील आदिबद्री

ग्रामीण क्षेत्र तहसील आदिबद्री

1	(क)	हालीसेरा उर्फ आदिबद्री, ताल, बोली लगा ताल, जुलगड, खाल उर्फ कुमखोडी,	55.00	600.00	16700.00	14200.00	13400.00	12400.00	9100.00
2	(ख)	भलसौं, जैम, शीवामगरी, स्यालकोट, हंमकर, नगली, बूंगा, खेत, बुराखोली।	45.00	495.00	16595.00	14095.00	13295.00	12295.00	8995.00
3	(ग)	काण्ड लगा कौसुवा, कौसुवा, आलीमजियाडी, पंया, दरमोली, बडेथ, किरसाल, ऐरवाडी, मलेठी, माथर, मालई, मटियाला, गिवाड़, मौनीडडुवा, खेती लगा किरसाल, कफलोडी, पुनगांव, दुबतोली	35.00	385.00	16485.00	13985.00	13185.00	12185.00	8885.00
4	(घ)	उक्त के अतिरिक्त तहसील आदिबद्री के अन्तर्गत आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों की भूमि के लिए	20.00	220.00	16320.00	13820.00	13020.00	12020.00	8720.00

सड़क मार्ग की चौड़ाई

श्रेणी	सड़क मार्ग की चौड़ाई			
	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम	
क	40	30	20	
ख	35	20	10	
ग	30	10	10	
घ	20	10	10	

नोट :- 0.2 हे० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।

कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विक्रय करते समय कंता भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।

(Signature)

3	बहुभजतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।
4	भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5	उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्घरण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विक्रय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र /शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।
6	दुकान /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेंट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
7	मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश विलत निर्गत, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकारणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं /निगमों द्वारा अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित /अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
परन्तु :-	उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।

जिलाधिकारी,
चमोली।

शासनादेश संख्या-(1)/2014/XXXVII (9)स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के लिए जनपद चमोली अन्तर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) का विवरण।

क0सं0	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)				गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर(प्रति वर्ग मी0)	
			कृषि (भूमि प्रति है0 रु0 लाख में)	अकृषित भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)		
						दुकान / होटल / धर्मशाला / रेस्टोरैन्ट / कार्यालय		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

तहसील थराली

अर्द्ध नगरीय क्षेत्र-

1	(क)	ग्वालदम, ग्वालदम स्टेट थराली, पूर्णा, सेलखोला, इच्छोली, हाट कल्याणी, भैंटा, देवराडा, तलवाडी स्टेट, केवर तल्ला, कठालीगाड़, नारायणबागड, पन्ती, देवाल, लोहा जंग, मुन्दोली, बोंक ।	50.00	550.00	16050.00	13650.00	12850.00	11850.00	8650.00
2	(ख)	कुलसारी, हरमनी, तलवाडी फ्री स्मोमल स्टेट ।	45.00	495.00	15995.00	13595.00	12795.00	11795.00	8595.00
3	(ग)		40.00	440.00	15940.00	13540.00	12740.00	11740.00	8540.00

साइक मार्ग की चौड़ाई

बेस रेट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी0 या अधिक	15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम	12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम	5मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम
	क	40	30	25	20
	ख	35	25	20	15
	ग	30	20	15	10

(Signature)

(Signature)

ग्रामीण क्षेत्र तहसील थराली।

		कर्णप्रयाग-थराली-गालदम एवं गालदम -नन्दकेशरी व थराली-देवाल-वाण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम कोठी, नन्दकेशरी, उलंगरा, काण्डई, सरकोट, वॉण, साहुगांव लगा जुनीधार, चेपई, सुनला, लमकुण्डी, सिमलसैण, तुंगेश्वर, थाला, हरतोली लगा थाला, लोली, बैनोली मल्ली, गुडम स्टेट, नलगांव सिरपुर, भीग, नौठा, बैनोली तल्ली, भिरतोली, हरमनी तल्ली, बीणा गांव, झांगेर गांव, मलतुस, कुण्डबगड, ईडा नगर कोटियाणा, भंगोती, केवर मल्ला, तैलोर, पदमला, चिडिया स्टेट, असेड सूना, हरचन्द, नलगांव कडाकोट, परखाल।										
1	(क)	पस्वोली, सवाड, सुनाऊ, मेला, बजवाड, माल, कुराड, डुगरी, दरमोला, लईसाण, कोटलगा देवल, कस्वीनगर, त्रिकोट, पालछुनी, बेडुला, लोपुना, आली, काब, ताजपुर, कुलिंग, देवस्थली, बागुडी, ल्वाणी, ताजपुर लगा काण्डई, बमणबेश, मधवाशिमार लगा उलंगरा।	35.00	385.00	15885.00	13485.00	12685.00	11685.00	8485.00			
2	(ख)	धेस, हिमनी, मेलखेत, नलधुरा, सूया, सिमली, सिलकोटी, सगावाडा, दुगाखोली, केरा, रतगावगेठ, देवल, गवाड लगा सुनाऊ, सेरा लगा भैटा, चिडिया खलसा, बुडजोला, रैस, चोपला, चलिथापनी, डुगरीकडाकोट, रतनी, जुनेर, शैगांव, बनैला, चिरैना लगा बेडुला, भेटा तल्ला, भेटा मल्ला, लोभरी, बहलारा, पार्था, काण्डारवाड।	30.00	330.00	15830.00	13430.00	12630.00	11630.00	8430.00			
3	(ग)	खेतमानमती, चौड, कोटेडा, सेराविजपुर, जोला, भटियाणा, भुलववाणी गवाड, भंगोटा, सीरी, जाख, बूगा, किमोली, स्थानतल्ला, धेरबूगा, सुनसारी, बमणगांव, हरमनी मल्ली, अंगतोली, करवाडा, धारबारम, गैरबारम, पोखडा, जबरकोट, ककडतोली, रैन, नन्दगांव, डालू।	25.00	275.00	15775.00	13375.00	12575.00	11575.00	8375.00			
4	(घ)	उक्त के अतिरिक्त तहसील थराली के अन्तर्गत अन्य समस्त ग्रामों के लिए।	22.00	242.00	15742.00	13342.00	12542.00	11542.00	8342.00			
5	(ङ)		20.00	220.00	15720.00	13320.00	12520.00	11520.00	8320.00			

ADM

14

		सड़क मार्ग की चौड़ाई			
बेस रेट में जो % वृद्धि की जायेगी	श्रेणी	18 मी० या अधिक	15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम	12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम	5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम
		क	35	25	20
ख	35	25	15	10	
ग	35	25	15	10	
घ	35	25	10	5	
ङ	35	25	10	5	
नोट :-	0.2 है० (2000वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अनंतरण पर उपरोक्त श्रेणियों में अकृषिक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू होंगी।				
2	कृषि या अकृषि भू-खण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भू-खण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार श्रेणियों हेतु निर्धारित सामान्य दर का दो गुना (200 प्रतिशत) होगा। भूमि का कय-विकय करते समय कंटा भूमि का भी प्रयोजन स्पष्ट करेगा कि भूमि (आवासीय, वाणिज्यिक) किस प्रयोजन हेतु कय की जा रही है।				
3	बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर) तल के अनुसार बढ़ते हुये कम में 10 प्रतिशत कम होगा।				
4	भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है दो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।				
5	उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने सू पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धारण क साथ-2 इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विकय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।				
6	दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें, भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है तो दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति वेसमेंट या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।				
7	मूल्यांकन सूची में इस तथ्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश वित्त निर्मात उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केंद्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तरित, परिसर गतियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा तथा मूल्यांकन सूची में उक्त दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।				
पर-पु :-	उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों को गुल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगा।				

जिलाधिकारी
चमोली।

